तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **पाबूराम बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 214/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी पाबूराम सुथार, निवासी सुथारों का बास, ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.02. 2022 में (1) जिला कलक्टर कार्यालय में पाबूराम द्वारा (आवेदक) के नाम से RTI एक्ट लागू होने के आदिनांक तक जितनी भी प्रथम अपीलों के निर्णय जिला कलक्टर द्वारा किये गये उन सभी निर्णयों की स्केन कर प्रतियां इसी पोर्टल पर अपलोड कर दिलाने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 965 दिनांक 11.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बाबत् प्रार्थी पाबूराम सुथार को इस कार्यालय के पत्र संख्या 309 दिनांक 13.05.22 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि चाही गई सूचना में अपील किये जाने की तिथि मय वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, यदि आवेदक के अनुसार सूचना तैयार की जाती है तो इससे कार्यालय के स्त्रोत अननुपाती रूप से विचलित होगें, जो सूचना काक अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के अन्तर्गत दिया जाना अपेक्षित नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बाबत् सूचित किया जा चुका है तथा लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से हम सहमत है। अतः अपीलार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	